

सेवा में,

श्रीमान् अंचलाधिकारी

कोडरमा अंचल ।

विषय :- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के संबंध में ।

महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं..... किरण कुमार विश्वकर्मा

ग्राम.. मुर्कमनाथ

पो० मुर्कमनाथ

थाना मरकटचो

जिला कोडरमा

.....का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा..... रुमो

2. थाना..... तिलैया

3. थाना न०..... 12

4. खाता न०..... 326

5. प्लॉट न०..... 5809

6. रकवा..... 06 बीघा

7. भूमि का किस्म..... खेती

8. अधतन रसिद न०..... 0417923952

9. दा० खारिज वाद संख्या..... 2698

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा ।

किरण कुमार विश्वकर्मा

विश्वासभाजन

05/09/2022

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

भूमि सत्यापन अभिलेख सं०.....205/2022


10.09.2022

आवेदिका किरण कुमार विश्वकर्मा पिता-स्व० नन्हकू राणा, साकिन-मुर्मनाय, पोस्ट-मुर्मनाय, थाना-मरकच्चो, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया है।

| मौजा | थाना नं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकवा | किस्म |
|------|----------|----------|-----------|--------|-------|
| गुमो | 12 | 326 | 5809 | 06 डी० | रैयती |

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक19/09/2022 को प्रस्तुत करें।


10/09/22
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

15.09.2022


अभिलेख उपस्थापित।

17.11.2022

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-326, प्लॉट सं०-5809, रकवा-06 डी० भूमि - किरण कुमार विश्वकर्मा पिता-स्व० नन्हकू राणा के नाम से पंजी-II के पृष्ठ सं०-87 भाग सं०-48 पर जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा० खा० वाद सं०-3016/2017-18 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-2698 दिनांक-16.08.2016 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2022-23 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं०-127 दिनांक-05.09.2022 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-326, प्लॉट सं०-5809, रकवा-06 डी० भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशांसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-326, प्लॉट सं०-5809, रकवा-06 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामांतरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्गम लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।


17/11/22
अंचल अधिकारी,
कोडरमा